रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247310
CG-DL-E-14072023-247310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2023/आषाढ़ 22, 1945
No. 404] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2023/ASHADHA 22, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,12 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 503(अ).—केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उप धारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2023 है।

 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 18 के उपनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित को अन्त:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

 (6) प्राधिकरण/संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई ऐसी इकाई, जो सातवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम शुद्ध मूल्य अपेक्षित को पूरा नहीं करती है, को संबंधित राज्य सरकार द्वारा निष्पादित, नौवीं अनुसूची में संलग्न प्ररूप में विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने और रजिस्ट्रीकरण के लिए

इसके आवेदन के साथ इस तरह के क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने की पुष्टि करने वाले अपने निदेशक मंडल से किसी संकल्प को अनुज्ञात कर सकता है।

(7) क्षतिपूर्ति बंधपत्र भांडागारपाल के लिए अपेक्षित नकारात्मक शुद्ध मूल्य और न्यूनतम शुद्ध मूल्य के योग के बराबर मूल्य का होगा, जो प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के अध्यधीन रहेगा।

(8) क्षतिपूर्ति बंधपत्र की वैधता समाप्ति, निरस्तीकरण, अस्वीकृति या रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण के पश्चात छह माह या प्रत्येक दावे के समाधान होने के पश्चात, इसमें जो भी बाद में हो, तक होगी।

(9) प्राधिकरण क्षतिपूर्ति बंधपत्र को तब लागू करेगा, जब ऐसी इकाई लगाए गए किसी भी दंड या जुर्माने को पूरा करने में या अधिनियम के अधीन अपने किसी भी दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ है।

(10) भांडागार के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र उन्मोचित हो जाएगा यदि,-

(क) भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि भांडागारपाल ने इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया है;

(ख) भांडागारपाल रजिस्ट्रीकरण के अपने प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पित करता है, और प्राधिकरण इस तरह के अभ्यर्पण को स्वीकार करता है, और प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि भांडागारपाल ने इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया है; या

(ग) भांडागार के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है, और प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि भांडागारपाल ने इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।

3. उक्त नियमों में, आठवीं अनुसूची के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूची अन्त:स्थापित की जाएगी; अर्थात् :-

"नवीं अनुसूची

[नियम 18 (6) देखें]

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), जिसे इसमें इसके पश्चात "प्राधिकरण" कहा गया है, के पक्ष में सरकार द्वारा तारीख _____20... को विलेख द्वारा निष्पादित किया जाता है,

जबकि :

(क) भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) की स्थापना भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) (उक्त अधिनियम) के अधीन भांडागारों के विकास, भांडागार रसीदों के परक्राम्यता के विनियमन और भांडागारण व्यवसाय की व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए उक्त अधिनियम, के उपबंधो के कार्यान्वयन को विनियमित करने तथा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। परक्राम्य भंडागार रसीदों को जारी करके किसी भांडागार के रखरखाव के कारबार को प्रारंभ करने या जारी रखने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होता है और इस प्रयोजन हेतु "उक्त अधिनियम" के अधीन डब्ल्यूडीआरए (प्राधिकरण) को आवेदन किया जाना होता है।

(ख) अपने भांड़ागारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए इच्छुक प्रत्येक आवेदक भांडागारपाल, भंडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 के नियम 18 के अधीन यथा विहित न्यूनतम शुद्ध मूल्य अपेक्षाओं को पूरा करेगा और प्राधिकरण को आवधिक रूप में शुद्ध मूल्य अपेक्षाओं के अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(ग) की सरकार ने मैसर्स..... (संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई इकाई) जिसे इसमें इसके पश्चात "इकाई" कहा गया है, जो डब्ल्यूडीआरए के साथ अपने भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण की मांग करती है, के लिए और की ओर से यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत किया है।

(घ) केवल कृषिगत वस्तुओं के भंडारण वाले भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक की शुद्ध मूल्य अपेक्षाओं और इसे रजिस्ट्रीकरण की पूरी अवधि के दौरान बनाए रखे जाने और जिसकी प्राधिकरण द्वारा आवधिक रूप में पुष्टि की जानी है, निम्नानुसार है:–

भंडारण क्षमता (टन में)	शुद्ध मूल्य (रुपए करोड़ में)
(1)	(2)
500 तक	0.04
501 – 1,000	0.08
1,001 – 1,500	0.12
1,501 - 2,000	0.16
2,001 – 2,500	0.20
2,501 – 5,000	0.40
5,001 – 7,000	1.00
7,001 – 10,000	2.00
10,001 – 15,000	5.00
15,001 – 25,000	10.00
25,001 – 75,000	20
75,001 – 1,50,000	30
1,50,001 – 5,00,000	50
5,00,001 और इससे अधिक	100

IndiaCode

(ङ) कृषिगत और गैर-कृषिगत माल दोनों के भंडारण वाले भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक की न्यूनतम शुद्ध मूल्य की अपेक्षांए और रजिस्ट्रीकरण की पूरी अवधि के दौरान इसे बनाए रखने और जिसकी प्राधिकरण की आवधिक रूप में पुष्टि की जानी है, निम्नानुसार है:-

भंडारण क्षमता (टन में)	शुद्ध मूल्य (रुपए करोड़ में)
(1)	(2)
25,000 तक	10.00
25,001-75,000	20.00
75,001-1,50,000	30.00
1,50,001-5,00,000	50.00
5,00,001 और इससे अधिक	100.00

(च) प्राधिकरण, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी भी इकाई को, जो सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शुद्ध मूल्य की अपेक्षा को पूरा नहीं करती है, संबद्ध सरकार द्वारा निष्पादित क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

(छ) प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त करने वाली इकाई को, रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन के साथ, इस प्रकार के क्षतिपूर्ति बंधपत्र की प्रस्तुति की पुष्टि करने वाले निदेशक मंडल से एक संकल्प प्रस्तुत करेगी।

अब, इसलिए, सरकार..... उक्त अधिनियम के तहत स्थापित मैसर्स..... (इकाई का नाम) द्वारा किए गए आचरण, कार्य अथवा चूक, के कारण उत्पन्न सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, कार्यवाहियों, लेखा, दावों और मांगों जो कोई भी हो, के प्रति हर समय प्राधिकरण को बचाने, प्रतिरक्षा करने तथा क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति के अधीन रखने का वचन देती है, जो भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात रजिस्ट्रीकरण नियम कहा गया है) के नियम 18 के उपनियम 7 के अनुसार परिकलित की जाने वाली सीमा तक और इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र की नीचे दी गई शर्तों के अनुसार होगी-

(1) कि मैसर्स (इकाई का नाम) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन अपनी ओर से किए जाने वाले सभी दायित्वों का निर्वाह करेगा।

(2) की सरकार उक्त रजिस्ट्रीकरण नियमों के नियम 18 के उप-नियम (7) के अनुसार किसी परिकलित रकम के लिए प्राधिकरण को समाप्ति, निरस्तीकरण, अस्वीकृति या रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण के पश्चात छह माह तक या प्रत्येक दावे के समाधान होने के पश्चात तक, जो भी बाद में हो, क्षतिपूर्ति करने का वचन देती है।

(3) कि मैसर्स..... (इकाई का नाम) किसी निक्षेपकर्त्ता या किसी अन्य हितधारक के प्रति किसी दावे या दायित्व के संबंध में प्राधिकरण के आदेश या अनुदेश का हर समय पालन करेगा और इस संदर्भ में ऐसी कोई भी रकम डब्ल्यूडीआरए को प्रेषित की जाएगी।

(4)की सरकार मैसर्स..... (इकाई का नाम), के भांडागार के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के अधीन अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाएगी, यदि :

(क) मैसर्स..... (इकाई का नाम) से भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि भांडागारपाल ने नियमों की अपेक्षाओ के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया है;

(ख) भांडागारपाल, मैसर्स..... (इकाई का नाम) रजिस्ट्रीकरण के अपने प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पित करता है, और प्राधिकरण इस तरह के अभ्यर्पण को स्वीकार करता है, और प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि भांडागारपाल, मैसर्स..... (इकाई का नाम) ने नियमों की अपेक्षाओ के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया है; या

(ग) भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाता है, और प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि भांडागारपाल, मैसर्स..... (इकाई का नाम) ने नियमों की अपेक्षाओ के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।

(5) की सरकार सहमत हैं कि यदि मैसर्स..... (इकाई का नाम), मैसर्स..... (इकाई का नाम) की ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण अधिरोपित किसी भी दंड या जुर्माने को पूरा करने में असमर्थ है या उक्त अधिनियम के अधीन अपने किसी भी दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो प्राधिकरण क्षतिपूर्ति बंधपत्र (उक्त रजिस्ट्रीकरण नियमों के नियम 18 के उप-नियम (7) के अनुसार परिकलित की जाने वाली रकम की सीमा तक) का अवलंब लेगा।

(6)की सरकार इसके अतिरिक्त इस बात से सहमत है कि केंद्रीय सरकार, इसकी सहमति के बिना और इसके अधीन इसके दायित्वों को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, समय-समय पर डब्ल्यूडीआरए के साथ भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी भी नियम को बदल सकेगी और रजिस्ट्रीकरण के किसी भी निबंधन और शर्तों को प्रविरत या लागू कर सकेगी और सरकार के इस तरह के किसी भी परिवर्तन के कारण इसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।

(7) इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र की वैधता तारीखतक होगी।

निम्नांकित के साक्ष्यांकन में इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को तारीख को निष्पादित किया गया।

निष्पादक

.....सरकार के लिए

नाम:

पदनाम:

(मुहर सहित)

साक्षियों की उपस्थिति में:-

(1)

(2)

उपाबंध

क्षतिपूर्ति बंधपत्र में सम्मिलित किये गये भांडागारों का विवरण:-

क्र. सं.	भांडागारों का नाम और पता	भंडारण क्षमता (टन में)
(1)	(2)	(3)

[फा. सं. 11/2022-भंडारण-II]

अनिता कर्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 165(अ) तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार खंख्यांक सा.का.नि. 798(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2022 द्वारा संशोधित किये गए।

IndiaCode

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2023

G.S.R. 503(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely : -

1. (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 18, after sub-rule (5), the following shall be inserted, namely :-

"(6) The Authority may allow any entity, created under the Act of Parliament or State Legislature which does not meet the minimum net worth requirement as specified in the Seventh Schedule, to submit an indemnity bond specified in the form appended in the Ninth Schedule, executed by the concerned State Government and a resolution from its board of directors confirming the furnishing of such indemnity bond, along with its application for registration.

(7) The indemnity bond shall be of the value equal to the sum of negative net worth and the minimum net worth requirement for the warehouseman which shall be subject to review by the Authority.

(8) The validity of the indemnity bond shall be until six months after expiry, cancellation, rejection or surrender of registration or until after satisfaction of every claim whichever is later.

(9) The Authority shall invoke the indemnity bond when such entity is unable to meet any penalty or fine imposed or is unable to discharge any of its obligations under the Act.

(10) The indemnity bond shall be discharged in respect of the warehouse if, -

(a) an application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of these rules;

(b) warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender, and the Authority is satisfied that the warehouseman, has discharged its obligations as per the requirements of these rules; or

(c) the certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of these rules."

3. In the said rules, after the Eight Schedule, the following Schedule shall be inserted; namely:-

"The Ninth Schedule

[see rule 18(6)]

INDEMNITY BOND

This indemnity is executed by deed on the day of_____ 20_ by the Government of …….in favour of the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) hereinafter called "AUTHORITY"

WHEREAS:

(a) The Warehousing Development and Regulatory Authority (hereinafter referred as Authority) is established under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) (the said Act) with the objective to regulate and ensure implementation of the provisions of the said Act for development of warehouses, regulations of negotiability of Warehouse Receipts and promote orderly growth of warehousing business. Every person desirous of commencing or carrying business of maintaining a warehouse issuing negotiable warehouse receipts is required to be registered and for that purpose an application has to be made to the Authority under the said Act.

(b) Every applicant warehouseman seeking registration of their warehouse shall meet the minimum net worth requirements as prescribed under rule 18 Warehousing (Development and Regulation) Registration of warehouses Rule, 2017 and provide evidence of compliance with net worth requirements periodically to the Authority.

(c) The Government of ……. has furnished this indemnity bond for and on behalf of M/s ……. (an entity created under the Act of the Parliament or of the State Legislative) hereinafter called "entity" seeking registration of its warehouses with WDRA.

(d) The net worth requirements of applicant for registration of warehouse storing only agricultural goods and to be maintained during the entire period of registration and to be confirmed periodically to the Authority is as follows :-

Storage capacity (in Tons)	**Net worth (Rupees in crores)**
(1)	(2)
Upto 500	0.04
501 – 1,000	0.08
1,001 – 1,500	0.12
1,501 - 2,000	0.16
2,001 – 2,500	0.20
2,501 – 5,000	0.40
5,001 – 7,000	1.00
7,001 – 10,000	2.00
10,001 – 15,000	5.00
15,001 – 25,000	10.00
25,001 – 75,000	20
75,001 – 1,50,000	30
1,50,001 – 5,00,000	50
5,00,001 and above	100

(e) The minimum net worth requirements of applicant for registration of warehouse storing both agricultural and nonagricultural goods and to be maintained during the entire period of registration and to be confirmed periodically to the Authority is as follows :-

Storage Capacity (in Tons)	Net worth (Rupees in Crore)
(1)	(2)
Upto 25,000	10.00
25,001-75,000	20.00
75,001-1,50,000	30.00
1,50,001-5,00,000	50.00
5,00,001 and above	100.00

(f) The Authority may allow any entity created under an Act of the Parliament or State Legislature which does not meet the minimum net worth requirement specified in the Seventh Schedule, to submit an indemnity bond executed by the concerned Government.

(g) The entity allowed by the Authority to submit such an Indemnity bond shall submit, along with its application for registration, a resolution from its board of directors confirming the furnishing of such indemnity bond.

NOW, therefore, the Government of …….. undertakes at all times to save, defend, and indemnify and keep indemnified the Authority from and against all actions, suits, proceedings, accounts, claims and demands whatsoever, caused due to any conduct, act or omission by M/s ……(name of the entity) established under …… the said Act, to the extent of limits to be worked out as per sub-rule (7) of rule 18 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 (hereinafter referred as to the registration rules) and as per the conditions of this indemnity bond noted below : -

1) That M/s ……..(name of the entity) shall comply with all the obligations to be performed on their part under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007, rules and regulations made thereunder

2) The Government of …… undertake to keep the Authority indemnified for an amount worked out as per sub-rule (7) of rule 18 of the said registration rules until six months after expiry, cancellation, rejection or surrender of registration or until after satisfaction of every claim whichever is later.

3) That M/s…….. (Name of entity) shall at all times comply with the order or instruction of the Authority with regard to any claim or obligation towards any depositor or any other stakeholder and any such amount in this reference shall be remitted to WDRA.

4) The Government of …… shall be discharged of its obligation under indemnity bond in respect of a warehouse of M/s ……..(name of entity), if:

(a) An application from M/s …… (Name of entity) for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the Rules;

(b) Warehouseman, M/s …….. (Name of entity) surrenders its certificate of registration, and the Authority accepts such surrender, and the Authority is satisfied that the warehouseman, M/s …… (Name of entity) has discharged its obligations as per the requirements of the Rules.; or

(c) The certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman, M/s …… (Name of entity) has discharged its obligations as per the requirements of the Rules.

(5) The Government of …… hereby agrees that in case M/s …..(Name of the entity) is unable to meet any penalty or fine imposed because of any act or omission on the part of M/s …..(Name of entity), or is unable to discharge any of its obligation under the said Act, the Authority shall invoke the indemnity bond (to the extent of an amount to be worked out as per sub-rule (7) of rule 18 of the said registration rules) .

(6) The Government of ……..... further agrees that the Central Government, shall without its consent and without affecting in any manner its obligations hereunder, vary any of the rules pertaining to registration of the warehouses with WDRA from time to time and forebear or enforce any of the terms and conditions of the registration and the Government of ……. shall not be relieved from its liability by reason of any such variation.

(7) This indemnity bond shall have validity till ___day of _____(month)_____202…….

In witness whereof signed this indemnity bond is executed on this _ day of _ 20__.

EXECUTOR

For the Government of:

NAME:

DESIGNATION:

(With Seal)

In the presence of witnesses: -

(1)

(2)

Annexure

Details of warehouses included in the indemnity bond :-

S No	Name and Address of the Warehouse	Storage capacity (in Tons)
(1)	(2)	(3)

[F. No. 11/2022-Stg.II]

ANITA KARN, Jt, Secy.

IndiaCode

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 165(E), dated 23rd February, 2017 and lastly amended vide number G.S.R. 788(E), dated 14th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2023.07.14 09:57:24 +05'30'